रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221375
CG-DL-E-27082020-221375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2548]	**नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942**
No. 2548]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

का.आ. 2875(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3214 (अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2016 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई के भावनगर – तलाजा –महुवा –कगवादार –ऊना –कोडिनार –वेरावल खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम'' कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 ई के भावनगर–तलाजा खंड के डिजाइन किलोमीटर 6.945 से किलोमीटर 54.990 (विद्यमान चैनेज किमी 7.090 से किमी 53.585) तक के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 29.292 किमी तथा 2.40 किमी की समकक्ष लंबाई (जिसकी लंबाई 0.240 किमी है) की संरचना (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100 प्रतिशत पर और बाइपास जिनकी लंबाई 18.513 किमी तथा लागत दस करोड़ या अधिक है के उपयोग हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) मे विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी–1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम. ए. वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1.नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी -2			
क्रम संख्या	**शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)**	**लम्बाई ल्क जिसके लिए शु (किलोमीटर में) संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
1.	गुजरात राज्य के भावनगर जिले में कोबाड़ी गांव के निकट रारा-8 ई के 18.150 किमी पर	29.292 (10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाइपासों की लंबाई तथा 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**बाइपास का नाम**	**आरंभ होते हुए (डिजाइन किमी)**	**समाप्त होते हुए (डिजाइन किमी)**	**बाइपास की लम्बाई एवं लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (किमी में)**	
गुजरात राज्य के भावनगर जिले में कोबाड़ी गांव के निकट रारा-8 ई के 18.150 किमी पर	बुढ़ेल बाइपास	किमी 8.442	किमी 11.116	2.674	52.56	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
	कोबाड़ी बाईपास	किमी 14.706	किमी 17.247	2.541	41.28	
	भंडारिया बाईपास	किमी 20.431	किमी 23.867	3.436	55.60	
	तनसा बाईपास	किमी 29.752	किमी 32.377	2.625	46.76	
	राजपुरा बाइपास	किमी 34.122	किमी 35.329	1.207	26.73	
	त्रापज बाइपास	किमी 40.300	किमी 42.130	1.830	40.04	
	तलाजा बाइपास	किमी 50.79	किमी 54.990	4.200	69.45	
कुल				18.513		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी – 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (किमी में)**	**सड़क की समकक्ष लम्बाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
गुजरात राज्य के भावनगर जिले में कोबाड़ी गांव के निकट रारा-8 ई के 18.150 किमी पर	0.240	2.40	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम सं .	**चैनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	50.540	50.780	मुख्य पुल	0.240
कुल				0.240

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/-रूपए (दो सौ पचहत्तर रुपए) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी -5		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1327.64 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/ 13013/ 547/ सीओ/19-20/ सीबी/ भावनगर–तलाजा खंड]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2875(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3214 (E) dated 18th October, 2016, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch Bhavnagar-Talaja-Mahuva-Kagavadar-Una-Kodinar-Veraval Section of National Highway Number 8E in the state of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 29.292 Km and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 2.40 Km (having length of 0.240 km) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 18.513 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Bhavnagar-Talaja section from design kilometer 6.945 to kilometer 54.990 (Existing chainage Km 7.090 to Km 53.585) of National Highway number 8E in the state of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plazas, namely: -

Table-2

S.No	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	Km. 18.150 of the NH-8E near village Kobadi in Bhavnagar District of State Gujarat	29.292 [Excluding length of By-Pass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60 M)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off (Design Km.)	Merging at (Design Km.)	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
Km. 18.150 of NH-8E near village Kobadi in Bhavnagar District of State Gujarat	Budhel Bypass	Km.8.442	Km. 11.116	2.674	52.56	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Kobadi Bypass	Km 14.706	Km. 17.247	2.541	41.28	
	Bhandariya Bypass	Km 20.431	Km 23.867	3.436	55.60	
	Tansa Bypass	Km 29.752	Km 32.377	2.625	46.76	
	Rajpura Bypass	Km 34.122	Km 35.329	1.207	26.73	
	Trapaj Bypass	Km 40.300	Km 42.130	1.830	40.04	
	Talaja Bypass	Km 50.79	Km 54.990	4.200	69.45	
Total				**18.513**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km. 18.150 of NH-8E near village Kobadi in Bhavnagar District of State Gujarat	0.240	2.40	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	50.540	50.780	Major Bridge	0.240
Total				0.240

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy-Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of the amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay the fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including the category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for the information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1327.64 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/19-20/CB/Bhavnagar-Talaja Section]
PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.27 20:06:23 +05'30'